राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/डीएलबी/15/ 9400 जयपुर दिनांक 24/4/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने की लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित भूतपूर्व सैनिको, भूतपूर्व सैनिको की विधवाओं, वीरगति प्राप्त सैनिको की वीरांगनाओं/विधवाओं एवं उन पर आश्रित माता/पिता/नाबालिग बच्चे तथा जिनका राजस्थान में केवल एक ही रिहायशी मकान है तथा जिनमें वे निवास करते है एवं मकान का आंशिक भाग किराये पर दिया गया हो, को दिनांक 24.08.16 से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 उप–धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/ 9401–9865 जयपुर, दिनांकः 24/4/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी